# न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
## पीठासीन अधिकारी श्री अजीतसिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 180/2017

1. हडमानराम पुत्र हिरकन उर्फ हरिकन विश्नोई
2. अणछी पत्नी हिरकन उर्फ हरिकन विश्नोई
   दोनों निवासीगण दूगर, तहसील बागोडा
   जिला जालोर
3. हरिकन पुत्र रामचन्द्र विश्नोई
   निवासी शिवपुरी जम्भेश्वर नगर लोहावट
   तहसील फलोदी, जिला जोधपुर (वर्तमान जिला फलोदी)

**अपीलाण्ट्स..**

**ब ना म**

1. बाबुराम पुत्र गिरधारीराम
   निवासी जोलियाली, तहसील जोधपुर
   जिला जोधपुर
2. नायब तहसीलदार बालेसर
   तहसील शेरगढ (वर्तमान तहसील बालेसर)
   जिला जोधपुर

**रेस्पो....**

**अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 669 ग्राम दुगर जो नायब तहसीलदार उप तहसील बालेसर सत्ता द्वारा पारित किया गया**

**उपस्थित–**
श्री बाबूलाल विश्नोई, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री जगदीश प्रजापत अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या 1
रेस्पो. संख्या दो की ओर से राजकीय अधिवक्ता

## नि र्ण य

**दिनांक : 06 अगस्त 2024**

अपीलाण्ट्स ने नायब तहसीलदार उप–तहसील बालेसर सत्ता द्वारा पारित म्युटेशन संख्या 669 के खिलाफ राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष पेश की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि ग्राम दुगर स्थित आराजी खसरा संख्या 534/3 रकबा 60 बीघा 17 बिस्वा पूर्व में कानाराम पुत्र नेनाराम ½,

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त

हिरकन पुत्र रामचन्द्र ¼ व हिरकन पुत्र हणुता ¼ राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही है और मौके पर इसी अनुसार खातेदारान का कब्जा काश्त है। उक्त भूमि में ½ हिस्से की भूमि कानाराम पुत्र नेनाराम द्वारा रेस्पो. संख्या एक बाबूराम के पक्ष में बेचान किये जाने पर म्युटशन संख्या 379 स्वीकृत होकर केता का नाम राजस्व रिकार्ड में कानाराम पुत्र नेनाराम के स्थान पर दर्ज हुआ, और सभी खातेदारान का कब्जा मौके पर पूर्ववत चलता रहा। मगर रेस्पो. संख्या एक ने राजस्व कर्मचारियों से दुराभिसंधि कर अपीलाण्ट्स की भूमि हडपने की नीयत से किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना ही उक्त भूमि अपनी खातेदारी में दर्ज करवा ली, जिसकी जानकारी अपीलाण्ट्स को नहीं होने दी। हिरकन पुत्र हणुता का देहान्त होने पर उसके वारिसान (अपीलाण्ट्स) द्वारा फौतेदगी म्युटेशन की कार्यवाही हेतु संबंधित पटवारी से सम्पर्क करने पर उक्त तथ्य बाबत दिनांक 19 दिसम्बर 2011 को अपीलाण्ट्स को जानकारी हो पायी। तब आवश्यक कार्यवाही कर आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने यह भी जाहिर किया कि अपीलाधीन म्युटेशन धारा 63 के प्रावधानों के विपरीत पारित किया गया है। अपीलाण्ट्स द्वारा न तो भूमि का बेचान किया गया है और न ही अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरण किया गया है। अपीलाधीन म्युटेशन किसी आदेश का हवाला दिये बिना एवं संबंधित आज्ञापक नियमों की पालना किये बिना ही पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट अन्दर मियादशुमार की जाकर स्वीकार की जावे और अपीलाण्ट्स को वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या एक ने जाहिर किया कि अपीलाधीन म्युटेशन प्रभारी अधिकारी राजस्व अभियान के आदेश क्रमांक 167 दिनांक 20 फरवरी 1989 के अनुसरण में दिनांक 15 जून 1989 को स्वीकृत किया गया है। जिसके खिलाफ आलौच्य अपील अपीलाण्ट्स द्वारा निर्धारित समय सीमा व्यतीत होने के बाद करीब 22 साल से भी अधिक समय बाद दिनांक 18 जनवरी 2012 को अत्याधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है और विलम्ब का कोई समुचित संतोषजनक कारण भी प्रकट नहीं किया गया है। अतः प्रस्तुत अपील मियादबाधित एवं सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन म्युटेशन प्रभारी अधिकारी राजस्व अभियान के आदेश क्रमांक 167 दिनांक 20 फरवरी 1989 के अनुसरण में स्वीकृत किया जाना म्युटेशन के विशेष विवरण के कॉलम में अंकित है। अतः अपीलाधीन म्युटेशन किसी आदेश का हवाला दिये बिना एवं संबंधित आज्ञापक नियमों की पालना किये बिना ही पारित किया जाने संबंधित अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स का यह कथन सही नहीं पाया जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलाण्ट्स द्वारा उक्त आदेश क्रमांक 167 दिनांक 20 फरवरी 1989 के खिलाफ कोई अपील/चाराजोई नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में आलौच्य अपील के जरिये अपीलाण्ट्स कोई अनुतोष प्राप्त करने का मुश्तहक नहीं पाया जाता है। दिनांक 15 जून 1989 को

स्वीकृत अपीलाधीन म्युटेशन के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष आलौच्य अपील दिनांक 18 जनवरी 2012 को अत्याधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है और विलम्ब का कोई समुचित संतोषजनक कारण भी प्रकट नहीं किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर भी आलौच्य अपील खारिज किये जाने योग्य पायी जाती है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट्स मियादबाधित एवं सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जाती है और अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 669 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06 अगस्त 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

06.08.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर